न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
गुडामालानी–बाडमेर

प्रा0पत्र सं0 190/2025

नरीमाराम बनाम करनी

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **आदेशिका** (अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
17.07.2025	विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट–1955 का प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल **खसरा संख्या 441/3.5450 है0, 592/0.9874 है0, 588/5.6008 है0, 444/1.3759 है0, 628/2.1772 है0,** वाके ग्राम लूणवा जागीर, व **खसरा संख्या 385/3.3913 है0,** वाके ग्राम भोलागर नगर एवं **खसरा संख्या 16/4.9291 है0, 33/2.3472 है0,** वाके ग्राम उकजी की ढाणी, व खसरा संख्या 207/4.2816 है0 वाके ग्राम लूणवा**जागीर** पटवार मण्डल लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर मे स्थित है। उक्त आराजी उभय पक्षकारान की सयुक्त खातेदारी आराजी है। उक्त सयुक्त खातेदारी आराजी मे प्रार्थी ने हिस्से की सयुक्त खातेदारी भूमि मे विधिक विभाजन तकासमा का वाद न्यायालय मे पेश किया है। अब **अप्रार्थीगण बिना विधिक विभाजन करवाये प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि में निर्माण कर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है।** अगर अप्रार्थीगण बिना विधिक विभाजन करवाये प्रार्थीगण के कब्जे काश्त निर्माण कर प्रार्थी द्वारा वर्षो से उपजाउ बनाई भूमि व कब्जा काश्त की भूमि पर से बेदखल करने मे कामयाब होता है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर तकासमा तक नया निर्माण करने के लिए मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जावे। प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की अंतरिम बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को मात्र दौहराया हुऐ प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। साथ ही विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। तत्पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर जॉचना आवश्यक है:– *(अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व/कब्जा होना आवश्यक है।* *(ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष मे झुकाव होना आवश्यक है।* *(स) प्रकरण मे मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है, तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना संभावित है।* प्रकरण मे प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थी विवादित आराजी का संयुक्त खातेदारी होना प्रथमदृष्टया प्रमाणित है एवं सैद्धान्तिक रूप से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की होने के कारण प्रथमदृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत होता है। साथ ही मुताबिक प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र अप्रार्थीगण बिना विधिक विभाजन करवाये प्रार्थीगण के कब्जे काश्त निर्माण कर प्रार्थी द्वारा वर्षो से उपजाउ बनाई भूमि व कब्जा काश्त की भूमि पर से बेदखल करने मे कामयाब होता है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ–पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात् पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने तक प्रार्थी के हिस्से की सीमा तक संयुक्त खातेदारी आराजी हाल **खसरा संख्या 441/3.5450 है0, 592/0.9874 है0, 588/5.6008 है0, 444/1.3759 है0, 628/2.1772 है0,** वाके ग्राम लूणवा जागीर, व **खसरा संख्या 385/3.3913 है0,** वाके ग्राम भोलागर नगर एवं **खसरा संख्या 16/4.9291 है0, 33/2.3472 है0** वाके ग्राम उकजी की ढाणी, व खसरा संख्या 207/4.2816 है0 वाके ग्राम लूणवा**जागीर** पटवार मण्डल लूणवा जागीर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में स्थित है पर जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थीगण संयुक्त आराजी पर जवाब प्रस्तुत करने तक ***मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।*** अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो कि क्यों नही उक्त अंतरिम आदेश को ताफैसल करते हुऐ अस्थाई निषेधाज्ञा पुष्ट की जावे एवं इस संबंध में कोई उज्र–एतरात हो तो दिनांक 07.08.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करे। सहायक कलक्टर गुडामालानी	प्रतिलिपि तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुडामालानी को स्थगन आदेश कि पालना हेतु प्रेषित।

सहायक कलक्टर SOD गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kuma Meena
Date: 2026.02.06 13:52:51 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-गुड़ामालानी

नरीगाराम	बनाम	करमीराम	
सीसीएमएस संख्या 2025/476		किस्म मुकदमा	212

तारीख हुक्म	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए/पावती
17/7/25	पत्रावली आज दर्ज रजि० हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण के सम्मन रजि० डाक द्वारा भेजकर रसीदें मय के रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली दिनांक 07/08/25 को पेश हो। [signature]	
07/08/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से adv गंगाराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी वकील रसीदें मय डेडलाइन रिपोर्ट आईन्दा पेश करेगा। पत्रावली दिनांक 14/08/25 को पेश हो। [signature]	[illegible]
14/8/25	पत्रावली आज पेश हुई। बजाय उभयपक्षकारान उप०। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17/07/25 मूल वाद के निस्तारण तक पुष्ट (confirm) की जाती है। पत्रावली मुकदमा मूल वाद के साथ शामिल हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:52:51 IST
Reason: SelfAttested